न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....543/2024

कंप्यूटर रजि०नं० 1357/2024

सरकार बनाम मनीष आदि

अंतर्गत धारा–147,364A,302/149,201,120B भा०द०सं०

थाना–नन्दग्राम गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–409/2024

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण मनीष, विकास, रोहित, अमन व ईश्वरपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 01.05.2024 को समय 7.00 बजे रात्रि स्थान अदम तहरीर अंतर्गत सीमा थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करते हुए बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा किराए पर लिए गए मृतक योगेन्द्र शर्मा के सर्विस सेन्टर पर फिरौती की माँग के उद्देश्य से उसे किराया देने के बहाने बुलाकर योगेन्द्र शर्मा उम्र 25 वर्ष को उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन इस आशय से कि उसकी मृत्यु अथवा उपहति कारित हो सकती है, लगाकर अपहरण किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–364A. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक को किसी समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में योगेन्द्र शर्मा को उसके सर्विस सेन्टर पर किराया देने के बहाने बुलाकर उसे जबरदस्ती एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश किया गया एवं तत्पश्चात् उसका अपहरण कर उसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सं०यू०पी० 15 एफ०टी० 8022 में डालकर उसे रात भर घुमाते रहे और उसके होश में न आने के कारण उसकी मृत्यु कारित हो गयी। इस प्रकार आपके द्वारा योगेन्द्र को नशे का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–302 सपठित धारा–149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक पर किसी समय आप अभियुक्तगण द्वारा योगेन्द्र शर्मा की हत्या करने के बाद, स्वयं को हत्या के अपराध के दण्ड से बचाने के लिए, हत्या का साक्ष्य नष्ट करने के आशय से उसके शव को सिवाया गांव के जंगल में रेलवे लाईन के पास झाड़ियों में फेंक दिया। इस प्रकार आपने धारा–201 भा०द०सं० के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय से पूर्व किसी समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा योगेन्द्र शर्मा (मृतक) को जान से मारने की योजना बनाकर आपराधिक षडयंत्र किया तथा उक्त आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण में योगेन्द्र शर्मा का फिरौती के उद्देश्य से अपहरण कर एवं नशे का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या कारित की। इस प्रकार आपने धारा–120B सपठित धारा–302 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः04–10–2024 **(अनिल कुमार–X)**

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांकः04–10–2024 **(अनिल कुमार–X)**

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद